47

No. 12011/2/2012-HR-II
Government of India
Ministry of Chemicals & Fertilizers
Department of Fertilizer

Shastri Bhawan, New Delhi
Dated 13th September, 2013.

OFFICE MEMORANDUM

Sub.: Recruitment to the post of Joint Adviser (Fertilizer) by promotion/transfer on deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment in the Department of Fertilizers-Regarding.

The undersigned is directed to say that one post of Joint Adviser (Fertilizer), a Group 'A' Gazetted post of General Central Services, in the pay scale of Rs. 4500-5700/- (Pre-revised according to 4th CPC), revised to PB-4, Rs. 37400-67000 + Grade Pay of Rs. 8700/- is required to be filled in by promotion/transfer on deputation (including short-term contract) failing which by direct recruitment basis from amongst the following:

II. Officers of the Central/State Government/recognised research institutions/Public Sector undertakings autonomous organisations:

(c) (i) holding analogous posts on regular basis or
(ii) with 5 years regular service in posts in the scale of Rs. 3700-5000 (Pre-revised), revised pay band PB-3 Rs. 15600-39100 + 7600/- Grade Pay or equivalent and

(d) Possessing the following educational qualifications and experience :

Essential :

(iii) M. Sc. Degree in Chemistry or degree in Chemical Engineering/Technology from a recognised University/Institute or equivalent.

(iv) 12 years experience in project planning/development/project appraisal of chemical industries out of which at least 6 years experience should be in the field of fertilizers.

(**Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise well qualified.)

(**Note 2:** The qualification (s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of UPSC in the case of candidate belonging to Scheduled Castes or Schedule Tribe, if at any stages of selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisites experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them).

43

Desirable:

Doctorate degree in Chemistry or Master's degree in Chemical Engineering from a recognized university/institute or equivalent.

II The Departmental Deputy Adviser (Fertilizer) or Joint Director (Technical) with 5 years regular service in the grade will also be considered for appointment to the post along-with other. In case, he is selected for appointment the post shall deemed to have been filled by promotion. The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

2. **Period of deputation:**

Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/Department of the Central Govt. shall ordinarily not exceed 5 years.

3. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation (including short-term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.

4. Pay and allowances and other terms and conditions of the selected officers will be regulated as per instructions contained in the Department of Personnel and Training's OM No. 2/29/91-Estt.(Pay-II) dated 05.01.1994 as amended from time to time.

5. It is requested that particulars in the annexed proforma (in duplicate) of the eligible officers who could be spared in the event of selection may be forwarded to Sh. Rakesh Kumar, Deputy Secretary (A[illegible]), Room No.-104, B wing, Department of Fertilizers, Shastri Bhawan, New Delhi through proper channel within 60 days from the date of publication of this office Memorandum in the Employment News along with their complete and up to date CR dossiers.

6. A certification that no vigilance case is either pending or contemplated against the officer along with certificate of Integrity and certificate that no Major/Minor penalty was imposed during last 10 years may also be sent to this Department.

7. The applications of officers received without the ACRs or with incomplete information/documents will not be entertained. Candidates, who volunteer to be considered for this post, will not be allowed to withdraw their names later on.

8. Hindi version follows.

(Rakesh Kumar)
Deputy Secretary to the Govt. of India
Tele. No. 23382552.

42

Copy to:

1. All Ministries/Departments of Government of India including planning commission with request to give this O.M wide publicity among eligible officers and also to circulate the post to recognized research institutions and autonomous organizations under their administrative control.

2. Chief Secretaries of all the State Governments with request to circulate the post to recognized research institutions and autonomous organisation under their control.

3. Public Sector Undertakings under the control of the Department of Fertilizers.

4. Department of Public Enterprises, CGO Complex, New Delhi with request to circulate the post among all PSEs.

5. University Grants Commission, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi with request to circulate the post among all universities etc.

6. Ms. Nalini Rani, Editor (Advtg.) publication Division, Employment News office, East Block-IV, Level – V, R.K. Puram, New Delhi-66 with request to get this advertisement published in the next issue of the Employment News and furnish the estimate of expenditure for issuing necessary sanction order.

7. Hindi Section for translation.

8. Notice Board/NIC for uploading on the website of DoF.

9. Vacancy Circular Folder.

फा.सं.ए-12011/2/2012-मा.सं.॥

भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 13th सितंबर, 2013

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: उर्वरक विभाग में पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पावधि संविदा सहित) और अभ्यर्थी न मिलने पर सीधी भर्ती के जरिए संयुक्त सलाहकार (उर्वरक) के पद पर भर्ती के संबंध में।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संयुक्त सलाहकार (उर्वरक), समूह-क, सामान्य केन्द्रीय सेवा का राजपत्रित पद, वेतनमान 4500-5700/- रुपए (चौथे सीपीसी के अनुसार संशोधन-पूर्व), संशोधित वेतनमान पीबी-4, 37400-67000/- रुपए + 8700 रुपए (ग्रेड पे) के साथ प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण (अल्पावधि संविदा सहित) आधार पर और अभ्यर्थी न मिलने पर निम्नलिखित में से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना अपेक्षित है:

1. केंद्र/राज्य सरकार/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत संस्थाओं के ऐसे अधिकारी जिन्होंने:-

(क) (i) नियमित आधार पर समकक्ष पद धारण किया हो: अथवा

(ii) वेतनमान 3700-5000/- रुपए (संशोधनपूर्व), संशोधित वेतनमान पे-बैंड (पीबी-3) 15600-39100+7600/- ग्रेड वेतन अथवा समकक्ष पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो, और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता और अनुभव हो:

<u>अनिवार्य</u>:

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर (एमएससी) की डिग्री अथवा रसायन इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में डिग्री अथवा समकक्ष।

(ii) रसायन उद्योगों में परियोजना नियोजन/विकास/परियोजना मूल्यांकन में 12 वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम 6 वर्ष का अनुभव उर्वरक क्षेत्र में होना चाहिए।

(**नोट-1**:- यदि अभ्यर्थी अन्यथा सुयोग्य है, अर्हताओं में छूट देना संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर है।)

(**नोट-2**:- यदि चयन के किसी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का यह मत हो कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति समुदायों से अपेक्षित अनुभव प्राप्त अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना संभव नहीं है तो इन समुदायों के अभ्यर्थियों के मामले में संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अनुभव संबंधी योग्यता/योग्यताओं में छूट दी जा सकती है।)

<u>वांछनीय:</u>

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से रसायन विज्ञान में डॉक्ट्रेट की डिग्री अथवा रसायन इंजीनियरी में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा समकक्ष।

II अन्यों के साथ-साथ इस पद पर नियुक्ति के लिए विभागीय उप सलाहकार (उर्वरक) अथवा संयुक्त निदेशक (तकनीकी), जिनकी इस ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा हो, पर भी विचार किया जाएगा। यदि नियुक्ति के लिए उनका चयन होता है तो पद को पदोन्नति से भरा हुआ माना जाएगा। फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी, जो सीधे पदोन्नति के पात्र हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति को विचार हेतु पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त अधिकारी के पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के विचार हेतु पात्र नहीं होंगे।

2. **<u>प्रतिनियुक्ति की अवधि:</u>**

प्रतिनियुक्ति की अवधि, इस नियुक्ति से तुरंत पहले इसी अथवा केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग में किसी अन्य बाह्य सवंर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, सामान्यतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

3. प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (अल्पावधि संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

4. चयनित अधिकारियों के वेतन और भत्ते तथा अन्य निबंधन एवं शर्तें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5.1.1994 के का.ज्ञा.सं.2/29/91-स्था.(वेतन-II) में निहित समय-समय पर संशोधित अनुदेशों द्वारा विनियमित होंगे।

5. अनुरोध है कि पात्र अधिकारियों, जिन्हें चयन होने पर कार्यभार से मुक्त किया जा सकता हो, के संबंध में संलग्न प्रपत्र (दो प्रतियों में) को उनके संपूर्ण और अद्यतन सीआर डोजियर के साथ इस कार्यालय ज्ञापन के रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 60 दिन के अंदर उचित माध्यम से श्री राकेश कुमार, उप सचिव (ए), कमरा सं.104, बी.विंग, उर्वरक विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को भेज दें।

6. यह प्रमाण-पत्र दिया जाए कि अधिकारी के विरुद्ध कोई सतर्कता मामला लम्बित अथवा विचाराधीन नहीं है और इसके साथ सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र दिया जाए तथा यह प्रमाण-पत्र कि पिछले 10 वर्षों के दौरान उन पर कोई बड़ी/छोटी शास्ति नहीं लगाई गई है।

7. जिन अधिकारियों के आवेदन पत्र एसीआर अथवा अधूरी सूचना/दस्तावेज के बिना प्राप्त होंगे उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो अभ्यर्थी इस पद पर विचार किए जाने के लिए अपना नामांकन देते हैं उन्हें बाद में अपना नाम वापिस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(राकेश कुमार)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं.: 23382552

प्रतिलिपि,

1. योजना आयोग सहित भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग से अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन की जानकारी सभी पात्र अधिकारियों को दी जाए और इस पद का परिचालन अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों और स्वायत संगठनों में भी किया जाए।

2. सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को इस अनुरोध के साथ कि अपने नियंत्रण के अंतर्गत मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों और स्वायत्त संगठनों में भी इस पद को परिचालित करें।

3. उर्वरक विभाग के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम।

4. लोक उद्यम विभाग, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली- सभी पीएसई में इस पद का परिचालित करने के अनुरोध सहित।

5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली- सभी विश्वविद्यालयों आदि में इस पद के परिचालित करने के अनुरोध सहित।

6. सुश्री नलिनी रानी, संपादक (विज्ञापन), प्रकाशन प्रभाग, रोजगार समाचार कार्यालय, ईस्ट ब्लॉक-IV, लेवल-V, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-66 - इस अनुरोध सहित कि इस विज्ञापन को रोजगार समाचार पत्र के अगले अंक में प्रकाशित करें और आवश्यक स्वीकृति आदेश जारी करने के लिए व्यय का अनुमान प्रस्तुत करें।

7. सूचना पट्ट/एनआईसी को उर्वरक विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

8. रिक्ति परिपत्र फोल्डर।